

दि राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि०, जयपुर

**सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना**

क्र०सं०	योजना का नाम	सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना
1	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजस्थान के सहकारी साख क्षेत्र के किसान क्रेडिट कार्डधारक सदस्यों के लिए एसबीआई लाईफ इन्श्योरेन्स कम्पनी एवं शीर्ष बैंक के मध्य दिनांक 19.07.2017 को निष्पादित समझौता अनुसार ऋणी सदस्य का रूपये 8.81 (मय जीएसटी) प्रति हजार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि पर अधिकतम रूपये 10.00 लाख तक का बीमा किया जाता है।
2	प्रारम्भ होने का वर्ष	2017-18
3	लाभान्वित वर्ग	समस्त वर्ग
4	पात्रता	किसान क्रेडिट कार्डधारक सदस्य, शीर्ष सहकारी बैंक, समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं पैक्स के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले सभी सदस्य एवं अमानतदार।
5	देय सुविधायें	मृत्यु होने पर बीमित राशि (अधिकतम 10.00 लाख रूपये तक) की क्षतिपूर्ति दी जाती है।
6	आवेदन का तरीका	ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा।
7	आवेदन कहाँ किया जावे	सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक/ग्राम सेवा सहकारी समिति।
8	आवेदन के साथ औपचारिकताएँ	बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर दावेदार द्वारा अपना दावा बैंक/ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से निर्धारित दावा प्रपत्र में वांछित दस्तावेजों के साथ सम्बन्धित बैंक में प्रस्तुत किया जावेगा।
9	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित ग्राम सेवा सहकारी समिति/केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा।